रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 1984/7 पौष, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

निलम्बन आदेश

धर्मशाला, दिसम्बर, 1984

संख्या पी०सी०एच०-के०जी० आर-8645-48.—क्योंकि श्री तोता राम प्रधान, ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली, ने सभा फण्ड की राशि रु० 3793.52 पैसे, अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी, जिसको जमा करवाने के लिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 5-2-84 द्वारा प्रधान ने स्वयं दो तीन माह की अवधि मांगी थी।

और क्योंकि उक्त प्रधान द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्तीय नियम, 1975 की उल्लंघना की, इसलिए उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या 8477–80, दिनांक 1-8-84 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था।

और क्योंकि उक्त श्री तोता राम प्रधान द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस के उत्तर का अवलोकन किया गया तथा इसे असन्तोषजनक पाया गया। खण्ड विकास अधिकारी, नगरोटा सूरियां ने भी इस मामले की जांच करवा कर उक्त आरोप की पुष्टि की है तथा प्रधान को राशि अपने पास अनाधिकृत रूप से रखने बारे दोषी ठहराया है।

2495-राजपत्र/84-28-12-84—1,149. (2239) मूल्य : 20 पैसे।

अतः मैं, एच0 एल0 नौशाद, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, उक्त श्री तोता राम, प्रधान, ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, तहसील दहरा, जिला कांगड़ा को प्रधान पद से तुरन्त निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि वे अपने पद का कार्यभार, अभिलेख तथा अन्य सम्पत्ति उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नन्दपुर भटोली को शीघ्र सौंप दें। उन्हें निलम्बित अवधि में पंचायत के किसी प्रकार के कार्य में हिस्सा लेने पर भी रोक लगाई जाती है।

एच0 एल0 नौशाद,
अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 दिसम्बर, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)55/83.—क्योंकि श्री कश्मीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत पोलियां, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं :—

1. दिनांक 27-2-83 व 26-7-83 को पंचायत की रोकड़ की जांच करने पर सीमा से अधिक राशि नकद बाकी को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना;
2. माह 11/82 व 12/82 के मस्ट्रोल में श्री दिलबाग नामक व्यक्ति को अदायगी दर्शाना जबकि यह व्यक्ति चण्डीगढ़ में चपड़ासी के पद पर कार्यरत है;
3. माह 12/82 व 1/83 के मस्ट्रोल कापी बाबत निर्माण तालाब में क्रमशः 321 व 142 दिन दर्शाये हैं जबकि उक्त महीने के लिए मस्ट्रोल रजिस्टर पर क्रमशः 468 व 161 दिनों की अदायगी की गई थी;
4. तालाब पोलियां के लिए मिट्टी निकालने का कार्य मस्ट्रोलों द्वारा कराये जाने के स्थान पर ठेके पर करवाना;
5. माह 2/83 में मानगढ़ तालाब निर्माण हेतु मस्ट्रोल संख्या 134, 135 व 139 दिये गये परन्तु मस्ट्रोल 134 में जिन कामगरों को कार्य पर दर्शाया है वे ही कामगार मस्ट्रोल 135 में थे अतः दोनों मस्ट्रोल जाली प्रतीत होते हैं;
6. पाठशाला भवन निर्माण पोलियां के बकाया 354 स्लेटों को 200 रुपये प्रति सैकड़ा बेचना परन्तु राशि को पंचायत रोकड़ में जमा न करना;
7. पंचायत घर को बिना पंचायत की स्वीकृति के किराये पर देना तथा केवल एक बार का किराया मु0 50 रुपय प्राप्त करके जमा करना तथा दूसरी बार का किराया अभी तक प्राप्त न करना;
8. पंचायत को विश्वास में न लेकर सभी अदायगियां स्वयं करना क्योंकि 24-2-83 की बैठक में खर्चों में मतभद होन के कारण चार पंचों में से तीन का उठ कर चले जाना;

और क्योंकि इन आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री कश्मीर सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की वास्तविकता जानने के लिये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जांच करवाने हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), देहरा को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, कांगड़ा को शीघ्र प्रेषित कर देंगे।

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-323/76.—क्योंकि श्री जय सिंह, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत धमून, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के विरुद्ध निम्न आरोप हैं :—

हाई स्कूल धमून की प्राथमिक शाखा के भवन की छत को बदलने हेतु मु0 5000 रुपये, दिनांक 29-4-83 तथा मु0 3000 रुपये दिनांक 7-9-83 को दिये जिसे उक्त कार्य पर व्यय न करके निजी प्रयोग में व्यय करने की आशंका है;

और क्योंकि उक्त आरोप की वास्तविकता जानने के लिए इसकी जांच करवानी आवश्यक है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, श्री जय सिंह, प्रधान (निलम्बित) के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं। वे अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र जिलाधीश, शिमला को प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 नवम्बर, 1984

संख्या 4-6/82-श्रम-II.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 4-6/83-श्रम, दिनांक 31-1-1984 का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन नियम, 1972 के नियम-2 के उप-नियम(2) के अध्ययन सहित, हिमाचल प्रदेश सरकार दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-10 द्वारा उन में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कथित नियमों की सूची-II में निम्न संशोधन सहर्ष करते हैं :—

संशोधन

In Schedule II to the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Rules, 1972 the existing item IX shall be substituted as under, namely:—

"IX. All the Shops/Commercial Estts. in Bhacri Nagar market and Paonta Sahib, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) ..(Tuesday)."

आदेशानुसार,
आर0 के0 आनन्द,
आयुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।